

प्रेषक,

उप निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

सेवा में,

समस्त अधिकारी, (नाम से)
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

संख्या: 1401/स्था0/ सम्पत्ति ब्यौ0/2011-12


दिनांक: 18 नवम्बर, 2011

विषय: राज्य सरकार के अधीन कार्यरत समस्त अधिकारियों द्वारा अपनी सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र सं0 126/आ0 एवं नि0उ0/कैम्प/2011, दिनांक 15 नवम्बर, 2011 के साथ संलग्न कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश सं0 1293/XXX(2)/2011, दिनांक 23 सितम्बर, 2011 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में वांछित सूचना निर्धारित प्रपत्र "क" "ख" "ग" एवं "घ" पर अपनी सम्पत्तियों का विवरण अंकित कर तीन दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड को सूचना उपलब्ध करायी जा सकें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।



(अनिल कुमार)

उपनिदेशक/कार्यालयाध्यक्ष

संख्या: /स्था0/ सम्पत्ति ब्यौ0/2011-12

तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(अनिल कुमार)

उपनिदेशक/कार्यालयाध्यक्ष

संख्या 126/आ0 एवं नि0उ0/कैम्प/2011
दिनांक 15 नवम्बर, 2011

प्रेषक,
डॉ० पी०एस० गुसाई,
आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

1. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की।
2. ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय।
3. उप निदेशक(खनन), भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय।

विषय:- राज्य सरकार के अधीन कार्यरत समस्त अधिकारियों द्वारा अपनी सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक कार्मिक अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1293/XXX (02)/2011 दिनांक 23 सितम्बर, 2011(छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अभी तक वाँछित सूचना प्रपत्र क, ख, ग एवं घ पर उपलब्ध नहीं करायी गयी है। आपको पुनः आदेशित किया जाता है कि निर्धारित प्रारूप पर सम्पत्तियों का विवरण अंकित कर तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि।

भवदीय,


(डॉ० पी०एस० गुसाई)
आयुक्त एवं निदेशक।

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- अपर निदेशक, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(डॉ० पी०एस० गुसाई)
आयुक्त एवं निदेशक।

Time Bonds

संख्या: 1293/XXX(2)/2011

Organized

20/Director(D)/P

प्रेषक,

पत्रांक. 268/सं०/दि०/20.11

उत्पल कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रभारी सचिव/अपर सचिव(स्वतंत्र प्रभार)
उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, कुमायूं/गढ़वाल
5. समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

Dr. P.S. Gusain

23/11/2011

Panchayati Raj
Govt. of Uttarakhand

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 23 सितम्बर, 2011

विषय: राज्य सरकार के अधीन कार्यरत समस्त अधिकारियों द्वारा अपनी सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत किया जाना।

महोदय,

आप अवगत हैं कि उत्तरांचल राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 में अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में नियम-22 (3) में यह व्यवस्था प्रदत्त है कि प्रथम नियुक्ति के समय और तदोपरान्त प्रत्येक 05 वर्ष की अवधि व्यतीत होने पर प्रत्येक कर्मचारी सामान्य रूप से नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी को निर्धारित प्रारूप पर अपनी सम्पत्ति की घोषणा करेगा। तदक्रम में कार्मिक अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 49/XXX(2)/2006 दिनांक 21 फरवरी, 2006 के द्वारा इस आशय के निर्देश निर्गत किए गए हैं कि राज्याधीन प्रत्येक सेवाओं में श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति का विवरण निर्धारित प्रारूप में वार्षिक आधार पर प्रस्तुत किया जायेगा और दिनांक 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले वर्ष से सम्बन्धित विवरण अगले वर्ष 31 जनवरी तक नियुक्ति प्राधिकारी को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड प्रांतीय सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों को शासनादेश संख्या 1262/XXX(2)/2011 दिनांक 13 सितम्बर 2011 द्वारा तथा विभागाध्यक्षों/अपर विभागाध्यक्षों को शासनादेश संख्या 1261/XXX(2)/2011 दिनांक 13 सितम्बर 2011 द्वारा निर्देशित किया गया है कि वे दिनांक 31 दिसम्बर 2010 को समाप्त हुए वर्ष से सम्बन्धित सम्पत्ति विवरण निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 15 अक्टूबर 2011 तक नियुक्ति प्राधिकारी/शासन को उपलब्ध करायेंगे।

3- शासन के संज्ञान में आया है कि उत्तराखण्ड प्रांतीय सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) तथा विभागाध्यक्ष/अपर विभागाध्यक्ष के अतिरिक्त राज्याधीन सेवाओं के अन्य संवर्गों के समूह 'क' एवं समूह 'ख' के अधिकांश अधिकारियों के द्वारा उक्त निर्देशों के अनुपालन में वार्षिक आधार पर अपनी सम्पत्ति का विवरण नियुक्ति प्राधिकारी को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। अतः सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित घोषणा का प्रपत्र पुनः संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने नियंत्रणाधीन समस्त समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों को प्रपत्र परिचालित करते हुए उन्हें निर्देशित करें कि वे दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 को समाप्त हुए वर्ष से सम्बन्धित सम्पत्ति विवरण निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 15 अक्टूबर, 2011 तक नियुक्ति प्राधिकारी/शासन को अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिसमें विफल होने की दशा में शासन द्वारा प्रतिकूल संज्ञान लिया जायेगा। जिन अधिकारियों के द्वारा सन्दर्भित अवधि का सम्पत्ति विवरण पूर्व में प्रस्तुत कर दिया गया हो, वे भी पूर्व प्रेषित सम्पत्ति विवरण की एक छायाप्रति दिनांक 15 अक्टूबर, 2011 तक नियुक्ति प्राधिकारी/शासन को अवश्य उपलब्ध करा दें। कृपया उक्त वांछित कार्यवाही का अपने स्तर पर भी समयबद्ध अनुश्रवण करके दिनांक 20 अक्टूबर 2011 तक कार्मिक विभाग को यह प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें कि आपके नियंत्रणाधीन विभागों में वांछित कार्यवाही का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया गया है।

4- कृपया इस प्रकरण को शीघ्र प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय,
(उत्पल कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

घोषणा का पत्र

(क)

(उन व्यक्तियों के लिये जो किसी अचल सम्पत्ति के स्वामी न हों)
मैं एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरे पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है। यदि इसके पश्चात मैं कोई अचल सम्पत्ति अर्जित करूँगा/करूँगी, तो मैं सम्बन्धित अवधि की पंचवर्षीय/वार्षिक घोषणा में उस तथ्य को घोषित करूँगा/करूँगी।

हस्ताक्षर.....
अधिकारी का नाम.....
पद नाम.....
विभाग.....
दिनांक.....

(ख)

(उन व्यक्तियों के लिये जो अचल सम्पत्ति के स्वामी हों)
मैं एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरे पास निम्नलिखित अचल सम्पत्ति है:-

भू-सम्पत्ति

भूमि जिसमें स्थित है।			क्षेत्रफल हेक्टेयर में	पैतृक या अर्जित, यदि अर्जित हो तो अर्जित करने का दिनांक	वार्षिक राजस्व	अनुमानित मूल्य	विशेष विवरण
जिला	तहसील	गांव/कस्बा / नगर					
1	2	3	4	5	6	7	8

गृह-सम्पत्ति

गृह जहाँ स्थित है।			गृह की संख्या	अर्जित या पैतृक, यदि अर्जित हो तो अर्जित करने का दिनांक	क्या रहने के प्रयोजन हेतु काम में आता है या किराया पर उठाया गया है।	वार्षिक किराया	अनुमानित मूल्य	विशेष विवरण
क.स.	गांव/कस्बा / नगर	जिला						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

यदि मैं भविष्य में अचल सम्पत्ति अर्जित करूँगा/करूँगी, तो मैं सम्बन्धित अवधि की पंचवर्षीय/वार्षिक योजना में उस तथ्य को घोषित करूँगा/करूँगी।

हस्ताक्षर
अधिकारी का नाम.....
पद नाम.....
विभाग.....
दिनांक.....

अवधेय- अचल सम्पत्ति में बन्धक (Mortgage) या पट्टे पर रखे गये गृह या भू-सम्पत्तियाँ भी सम्मिलित हैं।

किसी अधिकारी की पत्नी या उसके परिवार के अन्य व्यक्ति द्वारा जो सम्मिलित परिवार में हो, या साथ में रहता हो, या किसी प्रकार उस पर आश्रित हों, रखी गई या उसकी ओर से प्रबन्ध की जाने वाली सम्पत्ति इस घोषणा के प्रयोजनार्थ अधिकारी द्वारा स्वयं रखी गई तथ्य को घोषित करेगा/करेगी।

(ग)
 (उन लोगों के लिये जिनके कोई अंश (Shares) या विनिधान (Investment) नहीं है)
 मैं एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं किसी अंश या किसी अन्य विनिधान का स्वामी नहीं हूँ। इसके पश्चात
 यदि मैं कोई अंश अर्जित करता/करती हूँ या अन्य विनिधान (Investment) करता/करती हूँ तो मैं सम्बन्धित अवधि के
 लिए पंचवर्षीय/वार्षिक घोषणा में उस तथ्य को घोषित करूँगा/करूँगी।

हस्ताक्षर
 अधिकारी का नाम.....
 पद नाम.....
 विभाग.....
 दिनांक.....

(घ)
 (उन व्यक्तियों के लिये जो अंशों के स्वामी हो या जिनके अन्य विनिधान हो)
 मैं एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरे निम्नलिखित अंश और विनिधान हैं।

अंश (Shares)

क्रमांक	विवरण	अर्जित करने का दिनांक	प्रत्येक अंश का मूल्य	अंशों की संख्या	अंशों का कुल मूल्य	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7

विनिधान (Investment)

क्र.सं.	विवरण	विनिधान करने का दिनांक	मूल्य	विशेष विवरण
1	2	3	4	5

यदि मैं और अंश अर्जित करता/करती हूँ या अन्य विनिधान करता/करती हूँ तो मैं सम्बन्धित अवधि के लिए
 पंचवर्षीय/वार्षिक घोषणा में उस तथ्य को घोषित करूँगा/करूँगी।

हस्ताक्षर
 अधिकारी का नाम.....
 पद नाम.....
 विभाग.....
 दिनांक.....